न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी भागीरथ शाख आर.ए.एस.)

निगरानी प्र0 सं0 05/2019

1. नत्थुराम पुत्र भागाराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थी

बनाम्

1. राधाकृष्ण पुत्र उदाराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. ग्राम पंचायत पदमपुरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–असल अप्राथीगण

4. करनेल सिंह पुत्र लिखमाराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. किरशन सिंह पुत्र लिखमाराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
6. राजेन्द्र पुत्र हरिराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
7. राधाकृष्ण पुत्र हरिराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
8. दयासुख पुत्र मोटाराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
9. धर्मसिंह पुत्र गोविन्दराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
10. मोहन उर्फ श्रवण पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
11. देवीलाल पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
12. भजाराम पुत्र मुंशीराम जाति मेघवाल साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
13. किरशन पुत्र सोहनलाल जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

Web Copy - Not Official

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

14. श्रवण कुमार पुत्र सोहनलाल जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

15/1– चिड़ियादेवी पत्नी सजनकुमार जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

15/2– पवन कुमार पुत्र सजन कुमार जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

15/3– किरण पुत्री सजन कुमार जाति साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

16/1– देवीलाल पुत्र गुरदयाल जाति मेघवाल साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

16/2– धर्मसिंह पुत्र गुरदयाल जाति मेघवाल साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

16/3– गुड्डी पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

16/4– चन्द्रकला पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

16/5– सुलोचना पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

17. भूपसिंह पुत्र पतराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़(राज.)

18. देवीलाल पुत्र पतराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

19. जयकिशन पुत्र दयासुख जाति नाई साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

20. रोशनी पत्री जीतराम जाति नायक साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

21. रविदत पुत्र सुरजाराम जाति ब्राहम्ण साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

22. शेषचन्द पुत्र सुरजाराम जाति ब्राहम्ण साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

23. किरशन पुत्र श्योनारायण जाति जाट साकिन पदमपुरा साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

24/1– दाखां पत्नी नीकुराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

24/2– गंगाराम पुत्र नीकुमारा जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Web Copy - Not Official

24/3– सुभाष पुत्र नीकुराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

24/4– भागमल पुत्र नीकुराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर

24/5– शकुन्तला पुत्री नीकुराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

25. रावताराम पुत्र सावंताराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

26. जगदीश पुत्र हरलाल जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

27. लालचन्द पुत्र आदराम जाति मेघवाल साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

28. गौरीशंकर पुत्र गोविन्दराम जाति ब्राहम्ण साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

29. बनवारी पुत्र गोविन्दराम जाति ब्राहम्ण साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

30. बेगराज पुत्र बदरा जाति ब्राहम्ण साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्ध निर्णय प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर दिनांक 28.08.2018 अपील स0 07/2018

उपस्थितिः– श्री हवासिंह पुनियां अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री हरिसिंह अधिवक्ता, अप्रार्थी
श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय दिनांक : **10.02.2022**

संक्षेप में निगरानी प्रार्थी की ओर से निम्न प्रकार से हैं :–

1. निगरानीकृत निर्णय दिनांक 28.08.2018 विधि विरूद्ध तथ्यों के विपरित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने की वजह से निरंस्त योग्य है।
2. अप्राथी न0 1 अपीलांट ने एक अपील प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति नोहर में इस आशय की पेश कि थी कि गांव पदमपुरा में पश्चिमी तरफ 4 बिघा भूमि जोहड़ पायतन के लिए आरक्षित है जिसमें जोहड़ बना हुआ है एवं गांव का बरसात का पानी इकट्ठा होता है तथा गर्मियों के दिनों में पशुओं के पीने के काम आता है तथा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Web Copy - Not Official

जोहड़ सार्वजनिक हित में है जो काफी प्राचीन है जिस पर ग्राम पंचायत ने रेस्पोडेन्ट न0 2 ता 30 के नाम विधि विरूद्ध पट्टे जारी किये है जो निरस्त किये जावें।

3. प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति नोहर द्वारा प्रार्थी को विधिवत रूप से सुनवायी का कोई अवसर नही दिया ना ही विधिवत रूप से तामील करवायी प्रार्थी के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही कर विधि विरूद्ध निर्णय किया है जो निरस्त योग्य है।
4. ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में प्रार्थी के नाम से पट्टा स0 पांच दिनांक 14.07.1996 को किमतन जारी किया गया है जो जारी होने कि दिनांक से आज तक लगातार उपयोग व उपभोग में चला आ रहा है जो कि शेष विवादित भूखण्डों से अलग जगह पर है जो जोहड़ पायतन की भूमि पर नही आबादी भूमि में है एवं आबादी भूमि में ग्राम पंचायत द्वारा कानून प्रक्रिया अपनाकर विधि सम्मत् पट्टा जारी किया है जो किसी भी सुरत में निरस्त करने योग्य नही था उसके बावजूद भी निरस्त किया गया है इसलिए प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर का निर्णय कानून सम्मत नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है।
5. प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर द्वारा प्रार्थी को विधिवत रूप से सुनवायी को कोई अवसर नही दिया कानूनन प्रभावित पक्षकार को विधिवत रूप से सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है उसके बावजूद भी विधि विरूद्ध निर्णय किया है जो निरस्त योग्य है।
6. मातहत अदालत में अपीलांट ने 29 पट्टो को निरस्त करवाने के लिए एक अपील पेश की है जबकि कानूनी स्थिति के मुताबिक प्रत्येक पट्टे की अलग अलग अपील होनी चाहिए थी इस कानूनी बिन्दु पर मातहत अदालत ने कोई गौर नही किया इसलिए निर्णय कानून सम्मत नही होने के कारण निरस्त योग्य है।
7. पंचायत के किसी निर्णय के खिलाफ अपील की मियाद 30 दिन है जबकि यह अपील काफी सालों बाद पेश की गई थी जो मियाद बाहर पेश की गई है जिसका अपीलांट को बखूबी ज्ञान था तथा पंचायत समिति द्वारा अपने पारित इस निर्णय में मियाद के बिन्दु पर कोई आदेश नही दिया है इसलिए अपील मियाद बाहर है जो काबिल खारिजी के है तथा यह अपील ग्राम पंचायत के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत नही की गई है क्योंकि निर्णय तो ग्राम पंचायत का प्रस्ताव होता है जिसके आधार पर पट्टा जारी किया जाता है इसलिए

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

पट्टा के खिलाफ कोई अपील पेश नही कि जा सकती है इसलिए पंचायत समिति का फैसला काबिल खारिजी के है।

8. अप्रार्थी स0 1 जिनके द्वारा पंचायत समिति में यह अपील पेश की गई है जो किसी भी प्रकार से पीड़ित पक्षकार नही है तथा ना ही किसी सार्वजनिक संस्था का सदस्य है ना ही प्रार्थी का पट्टा जारी रहने से इसको कोई नुकसान होता है इसलिए इसे कानूनी अपील करने को अधिकार नही था इसलिए यह निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है।

9. प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति का निर्णय कानुन सम्मत नही है सिर्फ राजनैतिक पार्टी वाजी कि वजह से प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने के लिए विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

10. प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर के सदस्यों ने दिनांक 05.03.2013 को विवादित भूखण्डों का मौका देखा एवं जो मौका रिपोर्ट तैयार की गई उसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रार्थी नत्थुराम पुत्र भागाराम की पट्टा शुदा भूमि उक्त जोहड़ की भूमि में नही है इनके मकान निर्मित है जो जोहड़ क्षेत्र के बाहर है आबादी भूमि में स्थित है उसके बावजूद भी स्वयं कमेठी के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वयं ने ही नजर अन्दाज कर निर्णय किया है जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही होने के कारण निरस्त योग्य है।

11. मातहत अदालत का निर्णय स्वैच्छाचारी मनमाना एवं कानून सम्मत नही है जो निर्णय की परिभाषा में नही आता है इसलिए निरस्त योग्य है।

12. प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर द्वारा प्रार्थी को विधिवत रूप से सुनवाई का कोई अवसर नही दिया ना ही निर्णय बाबत कोई प्राप्त हुई अब गांव में अप्रार्थी न0 1 ने ऐलानिया कहा कि मैनें आपका पट्टा निरस्त करवा दिया है तब पंचायत समिति नोहर में निर्णय बाबत जानकारी प्राप्त की तो बताया कि आपका पट्टा दिनांक 28.08.2018 को खारिज कर दिया गया है तब निर्णय की नकल प्राप्त करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया नकल दिनांक 11.03.2019 को प्राप्त की तब विधि विरूद्ध निर्णय होने की जानकारी हुई। जानकारी होते ही निगरानी पेश की जा रही है जो ज्ञान से अन्दर मियाद है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

लिहाजा निगरानी पेश कर अर्ज है कि निगरानी स्वीकार कर निर्णय दिनांक 28.08.2018 निरस्त कर ग्राम पंचायत पदमपुरा द्वारा आबादी भूमि में प्रार्थी के नाम से पट्टा स0 5 दिनांक 14.07.1996 को बहाल करने का आदेश फरमावें।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने निगरानी मीमों में उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 से 30 के पट्टे जोहड़ पायतन होने से निरस्त किये गये थे उनमें पट्टा नम्बर व दिनांक भी नही है तथा गवाह भी नहीं है। दिनांक 05.03.2013 को मौका देखा गया जो मौका रिपोर्ट तैयार की गई उसमें स्पष्ट लिखा है कि उक्त भूमि जोहड़ की भूमि में नही बताई है। निर्णय दिनांक 28.06.2013 में प्रत्यर्थी संख्या 12 तथा 26 से 30 के विरूद्ध अपील पोषणीय नही होने से अनुतोष के हद तक अपील खारिज की गई। इस निर्णय के खिलाफ रिविजन पेश की गई जो स्वीकार होकर रिमाण्ड की गई। दिनांक 31.07.2016 की मौका रिपोर्ट के अनुसार जोहड़ पायतन से मेरा प्लाट अलग है। विवादित पट्टे 98 के है मेरा पट्टा 96 का है। 29 पट्टो की एक ही अपील पेश की गई जो की अलग–अलग पेश की जानी चाहिए थी। अपील के लिए मियाद 30 दिन की थी जबकि 10 साल बादे पेश की है। प्रमाणित प्रति निर्णय/आदेश अपील के लिए आवश्यक है, जो अपील के सलंग्न पेश नही किये है। प्रभावित पक्षकार ही अपील पेश कर सकते है ये प्रभावित पक्षकार नहीं है। सरपंच एवं सचिव की दो रिपोर्ट है। अवैध कब्जा व अवैध पटटा, दोनों मे मेरा नाम नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया 28.08.2018 का निर्णय विधि सम्मत नही है निरस्त योग्य है मेरा पटटा सही है अतः निगरानी स्वीकार फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की पत्रावली संख्या 07/08 निर्णय दिनांक 26.08.2009 व 28.06.2013 के निर्णय के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर में निगरानी की जो की प्रतिप्रेषित की गई पुनः निर्णय पारित करते समय इनका पट्टा खारिज हो गया। विवादित भूखण्ड सार्वजनिक जगह का है जनहित में है अतः हम पिड़ित पक्षकार है। पट्टा दिनांक 14.07.1996 को जारी किया गया। पंचायत राज. एक्ट 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया है जबकि 1994 में नया एक्ट बन गया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

था तो पुराने एक्ट के तहत पटटा जारी क्यों किया गया। उक्त जगह गिनाणी है। अतः जनहित में पट्टा खारिज हों एवं निगरानी खारिज फरमावें।

बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया । उपरोक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि अपील संख्या 07/08 निर्णय दिनांक 28.06.2013 में रेस्पोडेंट संख्या 26 (निगरानीकर्ता नत्थुराम पुत्र भागाराम) के विरूद्ध अपील पोषणीय नही होने से खारिज योग्य माना है लेकिन अपील संख्या 07/2018 निर्णय दिनांक 28.08.2018 में निगरानकर्ता के पटटे को एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए खारिज करने के आदेश दिये गये है। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया है।

अतः निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.08.2018 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि निगरानीकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निगरानीकार व पक्षकारों की मौजूदगी में मौका निरीक्षण कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटायी जावें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हों। निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 10.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ सिंह आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर (हनुमानगढ)